

@shahjahanpurpol

प्रेस नोट-सराहनीय कार्य जनपद शाहजहांपुर दिनांक 28.08.2021

थाना गढ़िया रंगीन पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी,

अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मे 02 करोड रूपये कीमत की 02 किलो (फाईन क्वालिटी) की अफीम सहित 02 मादक पदार्थ तस्करो गिरफ्तार ।

श्री एस आनन्द पुलिस अधीक्षक जनपद शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार जनपद में मादक पदार्थों व अवैध शस्त्रों की रोकथाम व मादक पदार्थ तस्करो एवं अवैध शस्त्र रखने वालों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एवं श्री संजीव कुमार बाजपेयी, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण शाहजहाँपुर के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तिलहर के निर्देशन में थाना गढ़िया रंगीन पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली।

दिनांक 28.08.21 की रात्रि करीब 23.50 बजे थाना गढ़िया रंगीन द्वारा मुखबिर की सूचना पर ग्राम खज्जु गौटिया तिराहा से अभियुक्तगण 1. सुखपाल को 01 किलो ग्राम अफीम व एक तमन्चा 315 बोर व 03 जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ तथा अभियुक्त 2. जावेद खां को 01 किलो ग्राम अफीम तथा एक तमन्चा 12 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 12 बोर व 01 अदद मिस कारतूस 12 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना गढ़िया रंगीन पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:

1. सुखपाल पुत्र सरदार यादव निवासी ग्राम दना गोटिया थाना जैतीपुर जिला शाहजहाँपुर।
2. जावेद खां पुत्र इदरीश निवासी ग्राम कोड़रा खरसाई थाना दातागंज जिला बदायूं।

बरामदगी का विवरण:

1. 02 किलोग्राम फाईन क्वालिटी की अफीम (अंतर्राष्ट्रीय बाजार मे कीमत करीब 02 करोड रूपये।)
2. 02 अवैध तमंचा (एक 315 बोर व एक 12 तमंचा 12 बोर)
- 3- 05 कारतूस (03 जिन्दा कारतूस 315 बोर, 01 जिन्दा कारतूस 12 बोर व 01 मिस कारतूस 12 बोर)
- 4- 02 अदद मोबाईल

विवरण पूछताछ:-

- 1- दोनों अभियुक्तगणों ने सघन पूछताछ पर बताया कि ग्राम चन्दौखा सेरा थाना दातागंज जनपद बदायूं में अफीम की खेती होती है। वहां के किसान अफीम बेचते रहते हैं। हम लोगो ने यह अफीम 1. रिकु पुत्र रामदास धोबी नि0 ग्राम0 खरसाई थाना दातागंज जिला बदायूं 2. कल्लू पुत्र नामालूम नि0 ग्राम चन्दौखा सेरा थाना दातागंज जिला बदायूं से खरीदी थी। हम लोग वही से ग्राहक बदल बदल कर सस्ते दामो पर अफीम चोरी छिपके से लाते हैं और यहां ग्राहक तलाश कर मुनाफा कमा कर महंगे दामो पर पास पड़ोस के जिलो मे बेच देते हैं। जो पैसा मिलता है उसे हम लोग आपस मे बांट लेते हैं।
- 2- अभियुक्तगण सुखपाल उपरोक्त से तमंचे व कारतूस के संबंध मे सघन पूछताछ की गई तो बताया कि मैंने यह तमंचा व कारतूस ओमप्रकाश उर्फ लम्बू पुत्र प्यारेलाल निवासी ग्राम अकोला थाना बिसलपुर जनपद पीलीभीत से खरीदा था तथा अभियुक्त जावेद खां उपरोक्त ने बताया कि यह तमंचा व कारतूस मेरे पिताजी के पास थे। मुझे नहीं पता उन्होने कहा से खरीदे थे। उनकी लगभग दो वर्ष पूर्व मृत्यु हो गई है। तब से मैं तमंचा कारतूस अपने पास रखता हूँ।

पंजीकृत अभियोग का विवरण:-

1. मु0अ0सं0 321/21 धारा 8/17 NDPS ACT थाना गढ़िया रंगीन जिला शाह0 बनाम सुखपाल यादव
2. मु0अ0सं0 322/21 धारा 3/25 A. ACT थाना गढ़िया रंगीन जिला शाह0 बनाम सुखपाल यादव
2. मु0अ0सं0 323/21 धारा 8/17 NDPS ACT थाना गढ़िया रंगीन जिला शाह0 बनाम जावेद खां
3. मु0अ0सं0 324/21 धारा 3/25 A. ACT थाना गढ़िया रंगीन जिला शाह0 बनाम जावेद खां

अपराधिक इतिहास:-

अभियुक्त सुखपाल यादव उपरोक्त:-

1. मु0अ0सं0 321/21 धारा 8/17 NDPS ACT थाना गढ़िया रंगीन जिला शाह0 बनाम सुखपाल यादव
2. मु0अ0सं0 322/21 धारा 3/25 A. ACT थाना गढ़िया रंगीन जिला शाह0 बनाम सुखपाल यादव
3. मु0अ0सं0 18/2004 धारा 379 IPC थाना जैतीपुर जिला शाह0 बनाम सुखपाल यादव

अभियुक्त जावेद खां उपरोक्त:-

1. मु0अ0सं0 323/21 धारा 8/17 NDPS ACT थाना गढ़िया रंगीन जिला शाह0 बनाम जावेद खां
2. मु0अ0सं0 324/21 धारा 3/25 A. ACT थाना गढ़िया रंगीन जिला शाह0 बनाम जावेद खां

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. SO सुन्दरलाल वर्मा थाना गढ़िया रंगीन शाह0
2. SI श्री घनश्याम बहादुर थाना गढ़िया रंगीन शाह0
3. हे0का0 282 मौ0 याकूब थाना गढ़िया रंगीन शाह0
4. का0 2198 सोहनवीर थाना गढ़िया रंगीन शाह0
5. का0 1848 देवेन्द्र थाना गढ़िया रंगीन शाह0
6. का0 1827 हरेन्द्र थाना गढ़िया रंगीन शाह0
7. का0 1833 हेमन्त थाना गढ़िया रंगीन शाह0
8. का0 414 पूरनपाल थाना गढ़िया रंगीन शाह0